REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 10 | JULY - 2022

हिन्दू धर्म में महिलाओं की धार्मिक मान्यताएं

श्रीमती विनयप्रभा मिंज[१] , डॉ. महेश पाण्डेय[२]
[१]सहा. प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शा. एन. के. महाविद्यालय कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
[२]जे. पी. वर्मा शासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर.

भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीनकाल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तद्नुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी। परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार माना गया है।

नारी के संबंध में मनु का कथन ''पितारक्षति कौमारे ..... न स्त्री स्वातंन्न्यम् अर्हति।'' वहीं पर उनका कथन ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'', भी दृष्टव्य है वस्तुतः यह समस्या प्राचीनकाल से रही है। इसमें धर्म, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, रीति रिवाज और शास्त्र को कारण माना गया है। भारतीय दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है। पश्चिम की दृष्टि विचारणीय नहीं। भारतीय संदर्भों में समस्या के समाधान के लिए प्रयास हो तो अच्छे हुए हैं। भारतीय मनीषा समानाधिकार, समानता, प्रतियोगिता की बात नहीं करती वह सहयोगिता सहधर्मिती, सहचारिता की बात करती है। इसी से परस्पर संतुलन स्थापित हो सकता है।

वैदिक काल में महिलाएं

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र

देवता'' कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी अराधना की जाती रही है। धर्मशास्त्र का यह कथन नारी स्वतंत्रता का अपहरण नहीं है अपितु नारी के निर्बाध रूप से स्वधर्म पालन कर सकने के लिए बाह्य आपत्तियों से उसकी रक्षा हेतु पुरूष समाज पर डाला गया उत्तरदायित्व है। इसलिए धर्मनिष्ठ पुरूष इसे भार न मानकर, धर्मरूप में स्वीकर कर अपना कल्याणकारी कर्त्तव्य समझता है। पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थीं। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मों में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी के नहीं किया जाता था। श्रीरामचंद्र ने अश्वमेघ के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ट की पत्नी), लोपामुद्रा (महर्षि अगस्त्य की पत्नी), अनुसूईया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियां दैवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थी।इस समय की विदूषी स्त्रियों में इंद्राणी, मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, तथा सर्वराज्ञी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ऋग्वेद के अनेक ग्रंथों की रचना महिलाओं के द्वारा ही की गई थी जिनमें सिकता, विश्ववारा, निवावरी, घोषा, रोयशा, लोपामुद्रा, अपाला तथा उर्वशी आदि २० कवयित्रियों की रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। साधारण समाज की स्त्रियों की बड़ी अवनति हुई किन्तु उच्च परिवारों में इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। इस काल में भी अनेक कवयित्रि और लेखिकाएं हुई। 'हाल की गाथा' में सात कवयित्रियों की रचनाएं संग्रहित हैं। शील और भट्टारिका अपनी सरल, प्रसादयुक्त शैली तथा शब्द और अर्थ के सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध थी। देवी लाट प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री थी। विदर्भ में विजयका की कीर्ति की समता केवल कालिदास ही कर सकते थे। राजशेखर की पत्नी को काव्य रचना और टीका करने में सिद्धहस्तता प्राप्त थी। कतिपय महिलाओं ने आयुर्वेद पर पाण्डित्यपूर्ण और प्रमाणिक रचनाएं की हैं जिनमें 'रूसा' का नाम प्रसिद्ध है।

मध्यकाल में महिलाएं

समाज में भारतीय महिलाओं की दशा में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की।

जैन तथा बौद्ध धर्मों ने स्त्रियों की शिक्षा का पूर्णरूपेण समर्थन किया और स्त्री-पुरूष की समानता पर बल दिया। स्त्रियों को भी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वे भिक्षुणी कहलाती थी तथा मठी तथा विहारों में रहती थी। महावीर तथा बुद्ध ने संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ये धर्म और दर्शन के मनन के लिए ब्रम्हचर्य व्रत का पालन करती थीं। जैन और बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि कुछ भिक्षुणियों ने साहित्य तथा शिक्षा के प्रसार में व्यापक योगदान दिया। उनमें सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का नाम उल्लेखनीय है। जो धर्म के प्रचारार्थ सिंघल जैसे दूर देश भी गई। बौद्ध आगमों की महान शिक्षिका के रूप में भी इनकी ख्याति थी। जैन साहित्य से जयन्ती का पता चलता है। मध्यकाल मुस्लिम आक्रान्ताओं और उनके शासन का काल रहा है। आठवीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत के अतुलनीय वैभव की ओर आकृष्ट होकर मुस्लिम आक्रमण पर आक्रमण करते रहे और धन-सम्पदा लूटकर अपने साथ ले गये परंतु इनका उद्देश्य मात्र लूटमार तक ही सीमित था। ये भारत में शासन स्थापित करना नहीं चाहते थे। ११९२ ई, में मुहम्मद गौरी ने दिल्ली के अंतिम प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। इनके बाद क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी एवं मुगल वंश ने शासन किया। लगभग ६०० वर्षों तक भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य रहा।

डॉ. एफ. के. कई के अनुसार, ''मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी, जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राम्हणीय शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई।'' प्रथम मदरसे की स्थापना मुहम्मब गोरी द्वारा अजमेर में की गई। बाबर, हुमायुं अकबर इत्यादि शिक्षा प्रेमी थे और इन्होंने मदरसे की स्थापना कराई। मुस्लिम काल में पर्दा-प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा प्राय: उपेक्षित रही और उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया। कम आयु की बालिकाएं मकतबों में प्राथमिक शिक्षण ग्रहण करती थी। निर्धन तथा निम्न वर्ग की स्त्रियां सामान्य या प्राथमिक शिक्षा से वंचित थीं।

टकबर अत्यधिक उदारवादी शासक था जिसने इस्लाम में स्त्री पुरूषों दोनों को समान महत्व दिया। सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया की शिक्षा का उत्तम प्रबंध किया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। वह स्त्री शिक्षा का हिमायती था। मुस्लिम काल में ऐसी कई मुस्लिम शासिकाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और काल युद्धभूमि में भी दिखाई। इस संदर्भ में अहमदनगर की चांदबीबी के प्रयास उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अकबर की सेना से अपने साम्राज्य की रक्षा की। बाबर की पुत्री गुलबदन बानो बेगम विदुषी थी और 'हुमायूंनामा' की लेखिका थी।

ब्रिटिश मिशनरी भारत में अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने हेतु लालायित रहते थे। प्रोटैस्टण्ट तथा कैथोलिक मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास किये। १८२१ ई. में मिस कुक भारत आयी और आते ही उन्होंने आठ बालिका विद्यालयों की स्थापना की तथा सन् १८२३ तक १४ और बालिका विद्यालयों की स्थापना की। मिशनरियों के इन कार्यों से प्रभावित होकर भारतीयों ने भी इस क्षेत्र में कार्य किये जिसमें पूना में महात्मा बाई फूले ने एक बालिका विद्यालय की स्थाना की जिसमें वे और उनकी पत्नी पढ़ाते थे। १८४९ ई. में कोलकाता में भी वैश्यून ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसके पश्चात् **राजा राममोहन रॉय** और **ईश्वरचंद विद्यासागर** ने कोलकाता क्षेत्र में कई बालिका विद्यालयों की स्थापना की। १८५१ तक ईसाई मिशनरियों ने ही ३७१ बालिका विद्यालयों की स्थापना की जिनमें ११२९३ बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रहीं थी।

१८५० में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की। उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भारतीय समाज सुधारकों, **राजा राममोहन रॉय** आदि ने खुला सहयोग दिया। **लॉर्ड डलहौजी** ने भी शिक्षा का समर्थन किया तथा यह माना कि यह एक प्रमुख मुद्दा है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति जब तक सुदृढ़ नही होगी तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन और विकास कल्पना मात्र ही रहेगा और इस हेतु अंग्रेजों ने १९वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाने एवं लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार ने प्राईवेट कन्या स्कूलों को स्वतंत्र अनुदान, महिला शिक्षिकाओं को अनुदान, कन्या प्राथमिक विद्यालयों में सरल पाठ्यक्रम लागू किया जाये। महिलाओं हेतु विद्यालय की स्थापना की जाये तथा महिलाओं की शिक्षा हेतु पृथक् निरीक्षणालयों की स्थापना की जानी चाहिए। परिणामत: १९०२ के अंत तक १२ महिला कॉलेज, ४६८ सेकेण्डरी विद्यालय तथा ४५ प्रशिक्षण संस्थाएं स्त्रियों के लिए स्थापित की जा चुकी थी। सन् १९०१-०२ में ७६ नारियां मेडिकल कॉलेजों में थी। १६६ मैकेनिकल स्कूलों में थी। सन १९०२ से १९२१ तक के काल में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता उत्पन्न हो चुकी थी। १९०४ में **श्रीमति एनी बेसेण्ट** ने बनारस में 'सेंण्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की। १९१६ में दिल्ली में **लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज** की स्थापना की गई जो भारत का प्रथम महिला मेडिकल कॉलेज है। इसी वर्ष मुम्बई में महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई। १९१७ में श्रीमती एनी बेसेण्ट की अध्यक्षता में भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य नारी शिक्षा को प्रसारित करना था। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला साम्राज्ञी बनीं। गोंड महारानी दुर्गावती ने १५६४ में मुगल सम्राट अकबर ने सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने १५९० के दशक में अकबर की शक्तिशाली

मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहांआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवयित्रियां थीं और उन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की मां जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गांवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरूआत की।

भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया। एक महिला संत कवयित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थीं। इस अवधि की कुछ अन्य संत कवयित्रियों में अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देद शामिल हैं। हिंदुत्व के अंदर महानुभाव, वरकारी और कई अन्य जैसे भक्ति संप्रदाय, हिन्दू समुदाय में पुरूषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।

भक्ति आंदोलन के कुछ ही समय बाद सिक्खों के पहले गुरू, गुरूनानक ने भी पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने, सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाये जाने वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुआई करने, धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने, युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने, विवाह में बराबरी का हक और दीक्षा में समानता की अनुमति देने की वकालत की। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई। अशिक्षा और रूढ़ियां जकड़ती गई, घर की चहारदीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज आदि समाजसेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरंभ किए। उन्नीसवीं सदीं के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर तथा केशवचंद्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहुविवाह पर रोक की आवाज उठाई। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम १८२९, १८५६ में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, १८९१ में एज ऑफ कन्सटेंट बिल, १८९१, बहुविवाह रोकने के लिए वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ।

महिलाओं का पुनरूत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में हमारे समाज की सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश शासन के २०० वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनेक सुधार आये। औद्योगिकीकरण, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आंदोलन व महिला संगठनों का उदय व सामाजिक विधानों ने स्त्रियों की दशा में बड़ी सीमा तक सुधार की ठोस शुरूआत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की निम्न दशा के प्रमुख कारण अशिक्षा, आर्थिक निर्भरता, धार्मिक निषेध, जाति बंधन, स्त्री नेतृत्व का अभाव तथा पुरूषों का उनके प्रति अनुचित दृष्टिकोण आदि थे। मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है। यह है- हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं और स्त्रियों व पुरूषों को भिन्न-भिन्न भूमिकाएं निभानी चाहिए। स्त्रियों से माता और गृहणी की भूमिकाओं की और पुरूषों से राजनीतिक व आर्थिक भूमिकाओं की आशा की जाती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की अखिल धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा का समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किए गए हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदीं तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं जिसने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की हैं। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डॉक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमति प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बैनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, इला भट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएं ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी टी उषा, अंजू बाबी जॉर्ज, सुनीता जैन सानिया मिर्जा, अंजु चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आई. पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

२०वीं सदीं के उत्तरार्द्ध और अब २१वीं सदीं के प्रारंभ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बनने लगे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरूष की मानसिकता में बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को " औरत की कमाई खाने वाला" कहकर चिढ़ाया जाता था। आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री स्वात्तय में अर्थशास्त्र का योगदान अद्भूत है। स्त्रियां धन कमाने लगी है तो पुरूष की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनिया में नारियां बहुत आगे हैं। बहुत कम ही ऐसे विज्ञापन होंगे जिनमें नारी न हो लेकिन विज्ञापन में अश्लीलता चिंतन का विषय है। इससे समाज में विकृतियां भी बढ़ रही हैं। अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र को बौना बना दिया है। आज की नारी राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुंचकर नए आयाम गढ़ रही है। भूमंडलीकृत दुनिया में भारत और यहीं की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में ५० प्रतिशत महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करती है। आजादी के बाद लगभग १२ महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में २१ प्रतिशत पेशेवर महिलाएं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट तथा उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहां वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वहां सिर्फ नारी स्वयं को स्थापित ही नहीं कर पायी हैं बल्कि वहां सफल भी हो रही हैं।

यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जायेगा। जवाहर लाल नेहरू महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आंदोलन प्रारंभ करके उससे समाज में एक नयी जागरूकता उत्पन्न हुई है। बाल-विवाह, भ्रूण-हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का अथक प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गांधीजी ने कहा

था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्यों लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कूंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है जो कि आवश्यक रूप से सामाजिक है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएं अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। संवैधानिक अधिकारों में विभिन्न कानूनों के द्वारा महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार मिलने से उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। महिलाओं की विवाह विच्छेदन परिवार की सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार दिए गए। दहेज पर कानूनी प्रतिबंध लगा तथा उन व्यक्तियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई जो दहेज की मांग को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। अब सरकार लिव-इन पर विचार कर रही है। संयुक्त परिवारों के विघटन होने से जैसे-जैसे एकांकी परिवार की संख्या बढ़ी। इनमें न केवल महिलाओं को सम्मानित स्थान मिलने लगा बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी एक प्रमुख आवश्यकता के रूप में देखा जाने लगा। वातावरण अधिक समताकारी होने से महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के अवसर मिलने लगे।

महिला शिक्षा समाज का आधार है। समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल मात्र पुरूष को होता है जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को होता है। चूंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्रथम अध्यापक बनती है। महिला शिक्षा एवं संस्कृति को सभी क्षेत्रों में पर्याप्त समर्थन मिला। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम किन्तु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है।

स्त्री और मुक्ति आज भी नदी के दो किनारे की तरह है जो कभी मिल नहीं पाती। सतही तौर देखा जाए तो लगता है कि भारत ही नहीं, विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाती हुई स्त्रियों ने अपनी पुरानी मान्यतायें बदली हैं। आज की स्त्री की अस्मिता का प्रश्न मुखर होता जा रहा है। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संघर्ष करती हुई स्त्रियों ने लम्बा रास्ता तय कर लिया है परंतु आज भी एक बड़ा हिस्सा सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार स्त्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।

वस्तुतः २१वीं सदीं महिला सदीं है। वर्ष २००१ महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं की स्थिति और भूमिका के संबंध में जागरूक बनाने के प्रयास किये गये। महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष २००१ में प्रथम बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई जिससे देश में महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान और समुचित विकास की आधारभूत विशेषताएं निर्धारित किया जाना संभव हो सके। इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषो के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धांतिक तथा वस्तुतः उपभोग पर तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी व निर्णय स्तर तक समान पहुंच पर बल दिया गया है।

आज देखने में आया है कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नये रास्तों का निर्माण किया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं। महिलाएं अब अपनी पेशेवर जिंदगी को लेकर बहुत अधिक जागरूक है जिससे वे अपने परिवार तथा रोजमर्रा की दिनचर्या से संबंधित खर्चों का कम निर्वाह आसानी से कर सके।

वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन तो की जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक उचित ढंग से न पहुंच सकने के कारण स्त्रियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह सत्य है कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं फिर भी वह अनेक स्थानों पर पुरूष-प्रधान मानसिकता से पीड़ित हो रही हैं। इस संदर्भ में युगनायक एवं राष्ट्रनिर्माता स्वामी विवेकानंद का यह कथन उल्लेखनीय है " किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभल सन्निहित है।''

संदर्भ सूची:-

- राजकुमार डा. नारी के बदले आयाम, अर्जून पब्लिशिंग हाउस २००५
- भारतीय संविधान, अनु. १४, १५, १६, १९, २१, २३, ३९
- गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, बुक इनक्लेव, जयपुर
- सिंह, करण बहादूर, महिला अधिकार व सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मार्च २००६
- सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र २००७
- गौरतम हरेन्द्र राज, महिला अधिकार संरक्षण, कुरूक्षेत्र मार्च २००६
- व्यास जय प्रकाश, नारी शोषण, ज्ञानदा प्रकाशन, २००३
- शैलजा नागेन्द्र, वोमेन्स राइट्स, ए डी वी पब्लिशर्स जयपुर २००६
- टाहुजा, राम (१९९९) भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर नई दिल्ली
- अल्टेकर, ए. एस. (१९५६) द पोजिशन ऑफ वोमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, मोतीलाल बनारसी लाल, वाराणसी
- हसनैन, नदीम (२००४) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेंटर, लखनउ
- जोशी, पुष्पा (१९८८) गांधी ऑन वोमन, सेंटर फॉर वोमन'स डेवलपमेंट स्टडीज, दिल्ली
- मिश्र, जयशंकर (२००६) प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी पटना
- श्रीनिवास, एम.एन. (१९७८) द चेंजिंग पोजीशिन ऑफ इंडिया वूमन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे
- राजनारायण डॉ. स्त्री विमर्श और सामाजिक आंदोलन
- अखण्ड ज्योति